

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक ई-20/म0स्वा0कार्य0/(एम-448)/2019/ दिनांक:-

:-आदेश:-

श्रीमती मालती त्रिवेदी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हाल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर-प्रथम को उनकी स्वयं की प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 16.07.2018 से 19.09.2018 तक कुल 66 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश।
2. दिनांक 20.09.2018 से 16.01.2019 तक कुल 119 दिवस का उपार्जित अवकाश।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक. ई-20/म0स्वा0कार्य0/(एम-448)/2019/ 595

दिनांक:- 01/04/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम।
2. संबंधित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर